

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-734/2013/अलेसे-III/1142-49

दिनांक :- 23.09.2022

कार्यालय आदेश

श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के पत्रांक 40177 दिनांक 03.09.2022 की सूचना के आधार पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में किसी अन्य परिक्षार्थी के स्थान पर रा.उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवारी (उदयपुर) केन्द्र पर परीक्षा देते हुए पकड़े जाने पर प्रकरण संख्या 504/2022, तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भादस के तहत दर्ज होने के कारण दिनांक 09.07.2022 को सायं 7.00 बजे गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को दिनांक 09.07.2022 से निलम्बित किया जाता है।

इन्हें निलम्बन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, पाली किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 23.09.2022

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-734/2013/अलेसे-III/1142-49

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
4. कोषाधिकारी, पाली।
5. श्री श्रवण कुमार विश्नोई, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा।
8. पदस्थापन शाखा/ निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)